क्रम-संख्या–10 (ख–5)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 7 फरवरी, 2024
माघ 18, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ

संख्या यू0पी0ई0आर0सी0/सचिव/विनियमावली/04
लखनऊ, 7 फरवरी, 2024

अधिसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सभी अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके और पूर्व प्रकाशन के पश्चात, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली को संयोजन की स्वीकृति) विनियमावली, 2010, (इसके बाद "मूल विनियमावली" कही जाएगी) में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, अर्थात्:–

1–संक्षिप्त नाम और प्रारंभः

1.1–इस विनियमावली को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली से संयोजन की स्वीकृति)(प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2024 कही जाएगी।

1.2 –यह विनियमावली शासकीय राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

1.3–यह विनियमावली पूरे उत्तर प्रदेश राज्य पर लागू होगी।

2–मूल विनियमावली के विनियम 2 में संशोधनः

2.1–मूल विनियमावली के खंड 2.1 के उप–खंड (ख) में, किसी उत्पादन कंपनी के संबंध में "आवेदक" के खंड को उप–खंड (ख)(i) के रूप में क्रमांकित किया जाएगा और शब्द "(कैप्टिव उत्पादक संयंत्र सहित)" को "(नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्र के अलावा)" शब्दों के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2.2–"आवेदक" के चार नए खंड, अर्थात, उप–खंड (ख)(ii), उप–खंड (ख)(iii), उप–खंड (ख)(iv) और उप–खंड (ख)(v) को मूल विनियमावली के खंड 2.1 में उपयुक्त स्थानों पर जोड़ा जाएगा:

"(ii) ईएसएस के साथ या उसके बिना, 5 मेगावाट और उससे अधिक की अलग स्थापित क्षमता के साथ या मुख्य उत्पादक के माध्यम से 5 मेगावाट और उससे अधिक की कुल स्थापित क्षमता के साथ, वोल्टेज 33 किलोवोल्ट और उससे ऊपर पर एकल अंतर्संयोजन बिंदु पर संयोजन की मांग के साथ, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक केन्द्र; अथवा

(iii) 5 मेगावाट और उससे अधिक की अलग स्थापित क्षमता के साथ या मुख्य उत्पादक के माध्यम से 5 मेगावाट और उससे अधिक की कुल स्थापित क्षमता के साथ, वोल्टेज 33 किलोवोल्ट और उससे ऊपर पर एकल अंतर्संयोजन बिंदु पर संयोजन की मांग के साथ ईएसएस; अथवा

(iv) 33 किलोवोल्ट और उससे अधिक वोल्टेज पर अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली से पहले से ही संयोजन वाले उत्पादन केन्द्र की विद्युत प्रणाली के माध्यम से संयोजन की मांग वाला 1 मेगावाट और उससे अधिक की संस्थापित क्षमता वाला नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्र अथवा ईएसएस। अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली को संयोजन प्रदान करने के लिए आवेदन करने वाली ऐसी इकाई का उक्त उत्पादन केन्द्र के साथ संयोजन के बिंदु पर अपनी विद्युत प्रणाली और/या अंतर्संयोजन सुविधाओं को साझा करने के लिए एक समझौता होगा; अथवा

(v) 33 किलोवोल्ट और उससे अधिक वोल्टेज पर एकल अंतर्संयोजन बिंदु पर संयोजन की मांग के साथ, 5 मेगावाट और उससे अधिक की संस्थापित क्षमता वाले नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ता; अथवा"

2.3–मूल विनियमावली के खंड 2.1 के उप–खंड (ख) में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के संबंध में "आवेदक" के खंड को उप–खंड (ख)(vi) के रूप में क्रमांकित किया जाएगा और उसमें "वितरण अनुज्ञप्तिधारी" शब्दों को "वितरण अनुज्ञप्तिधारी (वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में डेटा सेंटर पार्क के अलावा)" शब्दों के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2.4–मूल विनियमावली के खंड 2.1 के उप–खंड (ख) में, कैप्टिव उपयोगकर्ता या खुली पहुंच वाले उपभोक्ता के संबंध में "आवेदक" के खंड को उप–खंड (ख)(vii) के रूप में क्रमांकित किया जाएगा और इसे नीचे बताए अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(vii) अपने नए/संशोधित/संवर्धित उपकेन्द्र और/या विद्युत संयंत्र के लिए अपने परिसर में संयोजन की मांग करने वाला कोई कैप्टिव उपयोगकर्ता या कोई ओपन एक्सेस उपभोक्ता या वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में एक डेटा सेंटर पार्क, जो संयोजन की मात्रा के भीतर विद्युत प्रवाह के बावजूद 20 MVA और उससे अधिक के मौजूदा/प्रस्तावित लोड के साथ 132 kV और उससे अधिक वोल्टेज पर विद्युत प्राप्त करने के लिए हो:"

2.5–"वोल्टेज 33 kV पर 5 MW से कम उत्पादन केन्द्र या" शब्दों को "किसी के द्वारा निर्मित" शब्दों के बाद और मूल विनियमावली के खंड 2.1 के उप–खंड (ख) में स्पष्टीकरण के अधीन "कैप्टिव उपयोगकर्ता" शब्दों से पहले जोड़ा जाएगा।

2.6–एक नया उप–खंड (घ–i) मूल विनियमावली के खंड 2.1 के उप–खंड (घ) के बाद नीचे बताए अनुसार जोड़ा जाएगा:

"प्रतिबद्ध पारेषण लाइन" का तात्पर्य एक पारेषण लाइन से है जो अपने नए/संशोधित/संवर्धित उपकेन्द्र और/या विद्युत संयंत्र के लिए अपने परिसर में संयोजन की मांग के साथ विशेष रूप से कैप्टिव उपयोगकर्ता या ओपन एक्सेस उपभोक्ता या वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में एक डेटा सेंटर पार्क के लिए बनाई गई हो, जिसमें संयोजन की मात्रा के भीतर विद्युत प्रवाह के बावजूद 20 MVA और उससे अधिक के मौजूदा/प्रस्तावित लोड के साथ विद्युत प्राप्त की जा सके;

2.7–"10 MW" शब्दों को मूल विनियमावली के खंड 2.1 के उप–खंड (ख) में स्पष्टीकरण के अधीन "20 MVA" शब्दों के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2.8–"या खंड 7.2 क के अधीन वितरण अनुज्ञप्तिधारी" शब्दों को "आवेदक" शब्द के बाद और मूल विनियमावली के खंड 2.1 के उप–खंड (ई) में "बाहर की स्थापना" शब्दों से पहले जोड़ा जाएगा।

2.9–"या खंड 7.2 क के अधीन वितरण अनुज्ञप्तिधारी" शब्दों को "(राज्य पारेषण सुविधा के अलावा)" के बाद और (छ) मूल के खंड 2.1 उप–खंड में "साधन" शब्द से पहले जोड़ा जाएगा।

2.10–दो नए उप–खंडों, अर्थात् उप–खंड (छ–i) और उप–खंड (छ–ii) को मूल विनियमावली के खंड 2.1 के उप–खंड (छ) के बाद नीचे बताए अनुसार जोड़ा जाएगा:

(छ–i) "ऊर्जा भंडारण प्रणाली" या "ईएसएस" विद्युत प्रणाली के निमित्त, का तात्पर्य एक ऐसी सुविधा से है जहां विद्युत ऊर्जा को ऊर्जा के किसी भी रूप में परिवर्तित किया जाता है जिसे संग्रहीत किया जा सकता हो, और बाद में विद्युत ऊर्जा में पुनर्परिवर्तित किया जा सकता हो और ग्रिड में वापस अंतःक्षेपित किया जा सकता हो;

(छ–ii) "किसी उत्पादक केन्द्र की "विद्युत प्रणाली" का तात्पर्य उत्पादक केन्द्र की विद्युत प्रणाली/स्विचयार्ड से होगा जिसमें समर्पित पारेषण लाइन, यदि कोई हो, शामिल है;"

2.11–मूल विनियमावली के खंड 2.1 के उप–खंड (झ) में, "नॉन–फर्म विद्युत उत्पन्न करने वालों के अलावा अन्य उत्पादन केन्द्र के संबंध में" शब्द हटा दिए जाएंगे।

2.12—दो नए उप—खंड, अर्थात्, उप—खंड (झ—i) और उप—खंड (झ—ii) मूल विनियमावली के खंड 2.1 के अधीन के उप—खंड (i) के बाद नीचे बताए अनुसार जोड़े जाएंगे:

(झ—i) "मुख्य ईएसएस" का तात्पर्य

(i) एक ऐसे ईएसएस से है जो 33 kV और उससे अधिक वोल्टेज पर एकल अंतर्संयोजन बिंदु पर अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली से संयोजन के लिए आवेदन करने के लिए एक समझौते के माध्यम से ईएसएस(ओं) के बीच पारस्परिक रूप से अधिकृत हो; या

(ii) एक ऐसे ईएसएस से है जिसका अंतर—राज्यीय पारेषण प्रणाली से पहले से ही संयोजन हो और जिसकी विद्युत प्रणाली के अनुबंध के माध्यम से एक या अधिक ईएसएस(ओं) द्वारा संयोजन की मांग की जा रही हो;

(झ—ii) "मुख्य उत्पादक" का तात्पर्य,

(i) ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्र से है जो ईएसएस सहित अथवा उसके बिना नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशनों के बीच 33 kV और उससे अधिक वोल्टेज पर एकल अंतर—संयोजन बिंदु पर अंतराज्यीय पारेषण प्रणाली से संयोजन के लिए आवेदन करने हेतु अनुबंध के माध्यम से परस्पर प्राधिकृत हो; या

(ii) ऐसे उत्पादन केन्द्र से है जिसका अंतराज्यीय पारेषण प्रणाली के साथ पहले से ही संयोजन हो और जिसकी विद्युत प्रणाली के अनुबंध के माध्यम से एक या अधिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्र(द्रों) अथवा ईएसएस(ओं) द्वारा संयोजन प्राप्त किया जा रहा हो;

2.13—मूल विनियमावली के खंड 2.1 के उप—खंड (ठ) और उप—खंड (ढ) हटा दिए जाएंगे।

2.14—दो नए उप—खंडों, अर्थात्, उप—खंड (ण—i) और उप—खंड (ण—ii) को उप—खंड (ण) मूल विनियमावली के खंड 2.1 के बाद नीचे बताए अनुसार जोड़ा जाएगा:

(ण—i) "नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्र" या "आरईजीएस" का तात्पर्य एक ऐसे उत्पादन केन्द्र से है जो ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ या उसके बिना ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत पर आधारित हो और इसमें नवीकरणीय हाइब्रिड उत्पादन केन्द्र शामिल होगा, जो एक ही अंतर्संयोजन बिंदु पर जुड़ा हुआ हो;

(ण—ii) "नवीकरणीय हाइब्रिड उत्पादक केन्द्र" या "आरएचजीएस" का तात्पर्य एक ऐसे उत्पादक केन्द्र से है जो ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ या बिना ऊर्जा के दो या दो से अधिक नवीकरणीय स्रोत(तों) के मिश्रण पर आधारित, एक ही अंतर्संयोजन बिंदु पर जुड़ा हुआ हो;

3—मूल विनियमावली के विनियम 6 में संशोधन

3.1—एक नया खंड, अर्थात्, खंड 6.1क मूल विनियमावली के खंड 6.1 के बाद नीचे बताए अनुसार जोड़ा जाएगा:

6.1क—1 एक आवेदक, जो ईएसएस है, अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए अपने प्रस्तावित अधिकतम अंतःक्षेपण की मात्रा या अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली से प्रस्तावित अधिकतम आहरण, जो भी अधिक हो, के संयोजन के लिए आवेदन करेगा।

6.1क—2 मुख्य उत्पादक या मुख्य ईएसएस या नवीकरणीय पॉवर पार्क डेवलपर के माध्यम से आवेदन, जैसा भी मामला हो, नोडल अभिकरण द्वारा केवल तभी विचार किया जाएगा जब—

(क) सभी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्र(द्रों) और/या ईएसएस(ओं) द्वारा संयोजन के बिंदु पर विद्युत प्रणाली और/या अंतर्संयोजन सुविधाओं को साझा करने के लिए लिखित समझौता है, जैसा भी मामला हो, आपस में और मुख्य उत्पादक या मुख्य ईएसएस या नवीकरणीय पॉवर पार्क डेवलपर की सहमति ग्रिड कोड के प्रावधानों और एकल अंतर्संयोजन बिंदु पर आयोग/केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अन्य विनियमावली के अनुपालन के उत्तरदायित्व के लिए जिम्मेदार होगी; और सरकार ने सभी अलग—अलग नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्र(द्रों) और/अथवा ईएसएस(ओं), की ओर से, मामले के अनुसार सभी प्रचालनात्मक और वाणिज्यिक जिम्मेदारियां संभाली हैं:

परंतु यह कि खंड 2.1 के उप–खंड (ख)(iv) के अधीन किसी आवेदन पर नोडल अभिकरण द्वारा विचार किया जाएगा और खंड 6.1क–2 (क) के प्रावधानों को इस शर्त के साथ लागू किया जाएगा कि पहले से ही 33 kV और उससे अधिक पर अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली से संयोजन वाले उत्पादक केन्द्र खंड 6.1क–2 के अधीन मुख्य उत्पादक होंगे।

6.1क–3 मुख्य उत्पादक या मुख्य ईएसएस या नवीकरणीय पॉवर पार्क डेवलपर के माध्यम से आवेदन के संबंध में, मामले के अनुसार अंतःक्षेपण का बिंदु और शेड्यूलिंग, डिस्पैच, मीटरिंग, डीएसएम लेखांकन और निपटान सहित ऊर्जा लेखांकन के उद्देश्य से निकासी का बिंदु एकल अंतर्संयोजन बिंदु होगाः

परंतु यह कि खंड 2.1 के उप–खंड (ख)(iv) के अधीन दी गई संयोजन के लिए, डीएसएम लेखांकन और निपटान मौजूदा उत्पादन केन्द्र पर लागू डीएसएम विनियमावली के अनुसार एकल अंतर्संयोजन बिंदु पर जुड़े उन सभी उत्पादन स्टेशनों के लिए किया जाएगा, जो पहले से ही अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली से संयोजन वाले मौजूदा उत्पादन केन्द्र पर लागू होते हैं, जब तक कि प्रासंगिक विनियमावली या आदेशों के होते हुए आयोग द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता हो।

4–मूल विनियमावली के विनियम 7 में संशोधनः

4.1–मूल विनियमावली के खंड 7.2 का पहला परंतुक हटा दिया जाएगा।

4.2–मूल विनियमावली के खंड 7.2 के दूसरे परंतुक में, "अंतर्राज्यीय पारेषण अनुज्ञप्तिधारी" शब्दों को "अन्तर्राज्यीय पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (एसटीयू के अलावा)" शब्दों के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा और "होने योग्य" शब्दों को "जैसा" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4.3–मूल विनियमावली के खंड 7.2 के तीसरे परंतुक में, शब्द "द(the)" शब्द "ऐसे(such)" के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4.4–मूल विनियमावली के खंड 7.2 के चौथे परंतुक में, शब्द "एन (an)" शब्द "ऐसे(such)" के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4.5–एक नया खंड, अर्थात, खंड 7.2क मूल विनियमावली के खंड 7.2 के बाद नीचे बताए अनुसार जोड़ा जाएगाः

7.2क यदि किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वोल्टेज 33 kV पर उपकेन्द्र और/या विद्युत लाइन की डाउनस्ट्रीम संयोजन राज्य पारेषण सुविधा की पारेषण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित पारेषण स्कीम में शामिल की जाती है और पारेषण पूंजी निवेश योजना को अनुमोदित करते समय आयोग द्वारा विधिवत अनुमोदित की जाती है, तो वोल्टेज 33 kV पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी की ऐसी संयोजन को ऐसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कनेक्शन अनुबंध पर हस्ताक्षर के अधीन संयोजन प्रदान किया जाना माना जाएगा जैसा कि इसके खंड 8 में प्रदान किया गया है।

4.6–मूल विनियमावली के खंड 7.3 और खंड 7.4 को नीचे बताए अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः

7.3 नोडल अभिकरण आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ (60) दिनों के भीतर आवेदक को संयोजन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ संयोजन के निष्पादन के लिए नियमों, शर्तों और तौर–तरीकों के साथ एक 'कनेक्शन प्रस्ताव' बनाएगी। 'कनेक्शन प्रस्ताव' में अन्य के अलावा संयोजन के बिंदु, आवश्यक अंतर्संयोजन सुविधाओं की अनुमानित लागत, यदि कोई हो, शामिल होगीः

परंतु यह कि यदि कोई आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो अस्वीकृति और अस्वीकृति के कारणों को आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ (60) दिनों के भीतर नोडल अभिकरण द्वारा आवेदक को लिखित रूप में सूचित किया जाएगाः

परंतु यह कि आवेदन को अंतिम रूप से खारिज करने से पहले, आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।

7.4 संयोजन बैंक गारंटी दो भागों में प्रस्तुत की जाएगी, कॉन–बीजी1 अंतर्संयोजन सुविधाओं की अनुमानित लागत, यदि कोई हो और कॉन–बीजी2 / रु. 5 लाख/MW (अथवा आयोग द्वारा समय–समय पर आदेश द्वारा प्रदान किए गए अनुसार) जो मौजूदा पारेषण प्रणाली पर अधिशेष क्षमता के आवंटन के लिए है :

परंतु यह कि खंड 8क–2 के अधीन कॉन–बीजी2 और अतिरिक्त कॉन–बीजी2 को खंड 2.1 के उप–खंड (ख)(ii), उप–खंड (ख)(iii), उप–खंड (ख)(iv) और उप–खंड (ख)(v) के अधीन 100 MW से अधिक संयोजन की मांग हेतु आवेदक के लिए 100 MW के बराबर की राशि पर कैप किया जाएगा।

परंतु यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में वितरण अनुज्ञप्तिधारी और डेटा सेंटर पार्क को खंड 8क–2 के अधीन कॉन–बीजी2 और अतिरिक्त कॉन–बीजी2 जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, और उन्हें इस अपेक्षा से छूट दी गई है:

परंतु यह कि कॉन–बीजी1 और कॉन–बीजी2, जैसा भी लागू हो, 'कनेक्शन प्रस्ताव' की सूचना के तीस (30) दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें विफल होने पर संयोजन के लिए आवेदन बंद कर दिया जाएगा और आवेदन शुल्क जब्त कर लिया जाएगा:

परंतु यह कि कॉन–बीजी1 और कॉन–बीजी2 की प्राप्ति के पंद्रह (15) दिनों के भीतर, जैसा भी लागू हो, नोडल अभिकरण (पारेषण बुनियादी ढांचों और अंतर्संयोजन सुविधाओं के लिए वाणिज्यिक संचालन की निर्धारित तिथि पर विचार करने के बाद) आवेदक को कनेक्शन समझौते पर हस्ताक्षर करने के निर्देश के साथ संयोजन की सैद्धांतिक मंजूरी की सूचना देगा। संयोजन की ऐसी सैद्धांतिक मंजूरी का तात्पर्य आवेदक द्वारा कनेक्शन समझौते पर हस्ताक्षर करने के अधीन संयोजन की स्वीकृति होगा जैसा कि खंड 8 में व्यवस्था दी गयी है,

4.7–मूल विनियमावली के खंड 7.5 में, शब्द "या पूलिंग केन्द्र" हटा दिए जाएंगे।

4.8–मूल विनियमावली के 7.5 के पहले परंतुक को हटा दिया जाएगा।

4.9–मूल विनियमावली के खंड 7.6 में एक नया परंतुक नीचे बताए अनुसार जोड़ा जाएगा:

"परंतु यह कि यदि संयोजन 132 kV और उससे अधिक वोल्टेज पर दिया जाता है, तो नोडल अभिकरण ऐसी संस्थाओं के संयुक्तप्रस्ताव पर ऐसे अंतर्संयोजन बिंदु पर संबंधित संस्थाओं की विद्युत प्रणाली की एकीकरण योजना को मंजूरी देगा।"

5–मूल विनियमावली के विनियम 8 में संशोधन:

5.1–मूल विनियमावली के खंड 8.1 (इसके दोनों प्रावधानों को छोड़कर) के मूल खंड को नीचे बताए अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"आवेदक या अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइसेंसधारक, जैसा भी मामला हो, संयोजन के इन–मूल अनुदान (आवेदक के मामले में) या संयोजन के अनुदान (खंड 7.2 के अधीन अन्तर्राज्यीय पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या खंड 7.2क के अधीन वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मामले में) की तारीख से पैंतालीस (45) दिनों के भीतर, उप–केन्द्र या स्विचयार्ड या नोडल अभिकरण द्वारा पारेषण लाइन के पहचान किए गए स्वामित्व की उस राज्य की पारेषण सुविधा के साथ एक कनेक्शन समझौते पर हस्ताक्षर करेगा, जहां संयोजन प्रदान किया जा रहा है:

परंतु यह कि यदि आवेदक मुख्य उत्पादक या मुख्य ईएसएस है, तो वे सभी संस्थाएं जिनकी ओर से आवेदन किया जा रहा है, वे भी कनेक्शन समझौते के हस्ताक्षर करेंगी। मुख्य उत्पादक या मुख्य ईएसएस यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी सभी संस्थाएं ग्रिड कोड और आयोग/केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अन्य नियमों का भी पालन करेंगी।

5.2–मूल विनियमावली के खंड 8.2 को नीचे बताए अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"खंड 8.1 में निर्धारित अवधि के भीतर कनेक्शन समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफलता के मामले में, नोडल अभिकरण कनेक्शन समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकतम तीस (30) दिनों की अवधि बढ़ा सकता है, जिसमें विफल होने पर संयोजन का सैद्धांतिक अनुदान नोडल अभिकरण द्वारा आवेदक को सूचित करने के अधीन रद्द कर दिया जाएगा, और कॉन–बीजी1 और कॉन–बीजी2 को भुनाया जाएगा।"

5.3–मूल विनियमावली के खंड 8.3 को हटा दिया जाएगा।

5.4–शब्द "निकासी" को मूल विनियमावली के खंड 8.4 में दो स्थानों पर "निरसन" शब्द के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।

6–नया खंड 8क: संयोजन की बैंक गारंटी का उपाय:

6.1–एक नया खंड, अर्थात्, खंड 8क मूल विनियमावली के खंड 8 के बाद नीचे बताए अनुसार जोड़ा जाएगा:

8क–संयोजन की बैंक गारंटी का उपाय:

8क–1–कॉन–बीजी1 अंतर्संयोजन सुविधा की अनुमानित लागत जमा होने के पंद्रह (15) दिनों के भीतर लौटा दिया जाएगा:

परंतु यह कि कॉन–बीजी1 को भुनाया जाएगा और यदि आवेदक कनेक्शन समझौते पर हस्ताक्षर करने से साठ (60) दिनों के भीतर ऐसी अनुमानित लागत जमा करने में विफल रहता है तो संयोजन की सैद्धांतिक मंजूरी को रद्द कर दिया जाएगा।

8क–2–कॉन–बीजी2 को निम्नलिखित मामले और तरीके से आवेदक के विद्युत संयंत्र या विद्युत लाइन के उत्पादन केन्द्र/विद्युत संयंत्र या विद्युत लाइन के वाणिज्यिक संचालन (सीओडी) की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर लौटा दिया जाएगा:

(क) यदि आवेदक ने 50% से कम क्षमता का सीओडी हासिल किया है और शेष क्षमता को चालू करने में सक्षम नहीं है, तो नोडल अभिकरण सीओडी हासिल करने वाली आनुपातिक क्षमता का कॉन–बीजी2 लौटा देगा;

(ख) यदि आवेदक ने कम से कम 50% और 75% क्षमता तक सीओडी हासिल कर लिया है और शेष क्षमता को चालू करने में सक्षम नहीं है, तो नोडल अभिकरण सीओडी हासिल करने वाली आनुपातिक क्षमता के कॉन–बीजी2 के अलावा कॉन–बीजी2 क्षमता का 50% लौटा देगा, जिसने सीओडी हासिल किया हो;

(ग) यदि आवेदक ने 75% से अधिक क्षमता का सीओडी हासिल कर लिया है और शेष क्षमता को चालू करने में सक्षम नहीं है, तो नोडल अभिकरण पूरे कॉन–बीजी2 को लौटा देगा।

परंतु यह कि यदि आवेदक 10 MW तक की क्षमता के मामले में छह (6) महीने की अवधि के भीतर और निर्धारित तारीख से 10 MW से अधिक क्षमता के मामले में बारह (12) महीने की अवधि के भीतर वाणिज्यिक प्रचालन हासिल करने में विफल रहता है तो कॉन–बीजी2 को भुनाया जाएगा और संयोजन रद्द कर दिया जाएगा (जब तक कि आवेदक के अनुरोध पर नोडल अभिकरण द्वारा अन्यथा बढ़ाया न जाए जिसके लिए कॉन–बीजी2 / रु0 0.25 लाख रु0/MW/माह अथवा उसका भाग प्रस्तुत किया जाएगा):

परंतु यह कि अतिरिक्त कॉन–बीजी2 को आयोग द्वारा जैसा भी उचित समझा जाए, समय–समय पर एक आदेश द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

8क–3–भुनाए गए कॉन–बीजी1 और कॉन–बीजी2 की आय को आयोग के लागू नियमों के अधीन संबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के एआरआर/टैरिफ में समायोजित किया जाएगा।

8क–4–यदि आवेदक खंड 8क–2 के अधीन कॉन–बीजी2 भुनाने से पहले कार्यान्वयन मुद्दों के कारण इसे दिए गए संयोजन को पूरी तरह से रद्द करना चाहता है, तो आवेदक ऐसी क्षमता (जो 5 MW से कम नहीं होगी) के कम से कम 50% के लिए नई संयोजन प्राप्त करने के लिए नए आवेदन की एक प्रति के साथ अपनी संयोजन में बाधा डालने वाले कार्यान्वयन मुद्दों का वर्णन करते हुए ऐसा अनुरोध प्रस्तुत करेगा जिसके लिए संयोजन को पूरी तरह से रद्द करने की मांग की गई है। ऐसे मामले में नोडल अभिकरण इस तरह के अनुरोध के पंद्रह (15) दिनों के भीतर ऐसे प्रारंभिक संयोजन को रद्द कर देगा जिसे रद्द करने की मांग की गई हो और आवेदक द्वारा संयोजन के नए आवेदन के अधीन पूरी क्षमता के लिए उत्पादक केन्द्र/विद्युत संयंत्र या विद्युत लाइन की सीओडी प्राप्त करने के बाद रद्द संयोजन के लिए कॉन–बीजी2 वापस लौटा देगा:

परंतु यह कि यदि आवेदक संयोजन के नए अनुप्रयोग के अधीन संपूर्ण क्षमता का सीओडी प्राप्त करने में असमर्थ है, तो कॉन–बीजी2 की वापसी के संबंध में खंड 8क–2 के अधीन किसी बात के होते हुए भी, संयोजन के नए अनुप्रयोग के अधीन कॉन–बीजी2 के साथ–साथ रद्द संयोजन के लिए नोडल अभिकरण द्वारा संपूर्ण कॉन–बीजी2 के लिए प्रयास किया जाएगा।

7–मूल विनियमावली के विनियम 9 में संशोधन:

7.1–मूल विनियमावली के खंड 9 के अंत में एक नोट हटा दिया जाएगा।

8–मूल विनियमावली के विनियम 10 में संशोधन:

8.1–मूल विनियमावली के खंड 10.1 में, "नॉन–फर्म विद्युत जनन करने वाले उत्पादन केन्द्रों से भिन्न" शब्दों को हटा दिया जाएगा।

8.2–मूल विनियमावली के खंड 10.4 के अंत में "समर्पित निकासी समझौते और वार्षिक रखरखाव अनुबंध से संबंधित मुद्दों के बारे में" शब्दों को जोड़ा जाएगा।

8.3–मूल विनियमावली के खंड 10 के अंत में एक नोट हटा दिया जाएगा।

9–नया खंड 10क: प्रतिबद्ध पारेषण लाइन का निर्माण, संचालन और रखरखाव

9.1–एक नया खंड, अर्थात्, खंड 10क मूल विनियमावली के खंड 10 के बाद नीचे बताए अनुसार जोड़ा जाएगा:

10क–प्रतिबद्ध पारेषण लाइन का निर्माण, संचालन और रखरखावः

10क.1–जहां पारेषण लाइन खंड 2.1 के उप–खंड (ख)(vii) के अधीन आवेदक के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसे आवेदक के पास एसटीयू द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर एसटीयू द्वारा संयोजन के बिंदु तक पारेषण लाइन (अंतर्संयोजन सुविधाओं को छोड़कर) का निर्माण करने का विकल्प होगा या यह एसटीयू आयोग द्वारा अनुमोदित पर्यवेक्षण शुल्क के भुगतान पर राज्य पारेषण सुविधा की देखरेख में अपने दम पर ऐसी पारेषण लाइन का निर्माण कर सकता है:

परंतु यह कि ऐसी पारेषण लाइन के निर्माण की लागत आवेदक द्वारा ऐसे नियमों और शर्तों पर वहन की जाएगी जो राज्य पारेषण सुविधा द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

10क.2–राज्य पारेषण सुविधा आवेदक को प्रतिबद्ध पारेषण लाइंन के प्रचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगी और ऐसी पारेषण लाइन का स्वामित्व ऐसे आवेदक द्वारा राज्य पारेषण सुविधा को हस्तांतरित माना जाएगा। ऐसी पारेषण परिसंपत्तियों के पूर्ण संचालन और रखरखाव लागत को समय–समय पर संशोधित यूपीईआरसी (बहुवर्षीय वितरण एवं पारेषण टैरिफ) विनियमावली 2019 के साथ पठित अधिनियम की धारा 62 के प्रावधानों के अनुसार राज्य पारेषण सुविधा के पारेषण शुल्क में शामिल किया जाएगा।

10–मूल विनियमावली के विनियम 11 में संशोधनः

10.1–दो नए परन्तुकों को मूल विनियमावली के खंड 11 में नीचे बताए अनुसार जोड़ा जाएगाः

परंतु यह कि ओपन एक्सेस उपभोक्ता या कैप्टिव उपयोगकर्ता 132kV और उससे अधिक वोल्टेज पर अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली से सीधे जुड़ा हो, इंटरफेस मीटर (मुख्य मीटर और चेक मीटर) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ओपन एक्सेस कंज्यूमर की ओर या कैप्टिव यूजर की ओर स्थापित किए जाएंगे, जैसा भी मामला हो, जबकि इंटरफेस मीटर (स्टैंडबाई मीटर) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने परिसर में स्थापित किया जाएगा। इंटरफेस मीटरों की लागत ओपन एक्सेस उपभोक्ता या कैप्टिव उपयोगकर्ता द्वारा वहन की जाएगी, जैसा भी मामला होः

परंतु यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में एक डेटा सेंटर पार्क खंड 2.1 के उप–खंड (ख) (vii) के अधीन वोल्टेज 132 kV और उससे अधिक पर अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली से सीधे जुड़ा हुआ है, इंटरफेस मीटर (मुख्य मीटर और चेक मीटर) राज्य पारेषण सुविधा द्वारा पारेषण–डिस्ट्रीब्यूशन इंटरफेस पॉइंट्स यानी डेटा सेंटर पार्क एंड पर स्थापित किया जाएगा, जबकि इंटरफेस मीटर (स्टैंडबाय मीटर) राज्य पारेषण सुविधा द्वारा अपने परिसर में स्थापित किया जाएगाः

परंतु यह कि वोल्टेज 33 kV पर अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली से सीधे जुड़े ओपन एक्सेस उपभोक्ता या कैप्टिव उपयोगकर्ता द्वारा इंटरफेस मीटर (मुख्य मीटर और चेक मीटर) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ओपन एक्सेस उपभोक्ता एंड या कैप्टिव यूजर एंड पर स्थापित किए जाएंगे, जैसा भी मामला हो, जबकि इंटरफेस मीटर (स्टैंडबाई मीटर) स्वतंत्र फीडर के मामले में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने परिसर में या मिश्रित फीडर के मामले में उपभोक्ता या कैप्टिव उपयोगकर्ता वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा खुले एक्सेस पर स्थापित किया जाएगा। इन इंटरफेस मीटरों की लागत ओपन एक्सेस उपभोक्ता या कैप्टिव उपयोगकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।

11–नया खंड 12कः किसी भी व्यक्तिगत REGS/ESS के संयोजन के निरसन के मामले में संयोजन का उपाय

11.1–एक नया खंड, अर्थात्, खंड 12क मूल विनियमावली के खंड 12 के बाद नीचे बताए अनुसार जोड़ा जाएगाः

12क–किसी भी व्यक्तिगत आरईजीएस/ईएसएस के संयोजन के निरसन के मामले में संयोजन का उपायः

इस विनियमावली के अधीन नोडल अभिकरण द्वारा किसी एकल आरजीएस/ईएसएस की संयोजन को प्रतिसंहरित करने के मामले में, ऐसे मुख्य उत्पादक/मुख्य ईएसएस/नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ता की संयोजन को इस तथ्य के अध्यधीन निरसन की सीमा तक कम कर दिया जाएगा कि संयोजन 5MW से कम नहीं होगी और कनेक्शन अनुबंध को संशोधित किया जाएगा और तदनुसार हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

12—मूल विनियमावली के विनियम 16 में संशोधनः

12.1—मूल विनियमावली के खंड 16 (शीर्षक के साथ) को नीचे बताए अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा

16—संयोजन का हस्तांतरणः

16.1—एक आवेदक या उपयोगकर्ता अपनी संयोजन और संबंधित अधिकारों और दायित्वों को किसी अन्य व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक रूप से हस्तांतरित नहीं करेगा, सिवाय इसके कि जैसा कि यहां व्यवस्था दी गयी है:

(क) मूल कंपनी को प्रदान की गई संयोजन को उसकी सहायक कंपनियों को हस्तांतरित किया जा सकता है और सहायक कंपनी को प्रदान की गई संयोजन को उसकी मूल कंपनी को हस्तांरित किया जा सकता है।

(ख) अन्य व्यक्ति को संयोजन के हस्तांतरण की अनुमति केवल कानून के अनुसार हस्तांतरण व्यवस्था के अधीन उत्पादन केन्द्र/विद्युत संयंत्र और/या विद्युत लाइन के हस्तांतरण पर ही दी जाएगी।

16.2—खंड 16.1 के अधीन ऐसा अन्य व्यक्ति इस विनियमावली के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संयोजन के हस्तांतरण के लिए नोडल अभिकरण को आवेदन करेगा। नोडल अभिकरण द्वारा संयोजन के संशोधित अनुदान के जारी होने पर, कंपनियां एक नए संयोजन समझौते (करारों) में प्रवेश करेंगी और सभी लागू नियमों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगी:

परंतु यह कि इस विनियमावली के अनुसार सभी देयताएं और बाध्यताएं, जब तक संयोजन हस्तांतरित नहीं की जाती हैं, मूल आवेदक/उपयोगकर्ता के पास बनी रहेंगी और बाद में हस्तांतरण पाने वाले सभी देनदारियों और दायित्वों से बंधे होंगे।

13—मूल विनियमावली की अनुसूची (नॉन—फर्म विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्रों के लिए प्रचार उपायों/शर्तों) में संशोधनः

13.1—मूल विनियमावली के अंत में अनुसूची (नॉन—फर्म विद्युत उत्पादन करने वाले संयंत्रों के लिए प्रोत्साहन उपाय/शर्तें) हटा दी जाएगी।

13.2—शब्द "गैर—पारंपरिक" को मूल विनियमावली के खंड(डों) 2.1 (आर), 3, 6.2 के परंतुक, 8.1 और 14.1 के परंतुक में "नवीकरणीय" शब्द के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।

आयोग के आदेश से,
शैलेंद्र गौर,
सचिव।

1135 RPH 2024 (urja folder)- data 7

No. UPERC/Secy/Regulation/04

Dated Lucknow, February 7, 2024

In exercise of powers conferred under Section 181 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity to intra-State Transmission System) Regulations, 2010, (hereinafter referred to as the "Principal Regulations"), namely:-

1. Short Title and Commencement:

1.1 These regulations may be called the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity to intra-State Transmission System) (First Amendment) Regulations, 2024.

1.2 These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official *Gazette*.

1.3 These regulations shall apply throughout the State of Uttar Pradesh.

2. Amendment to Regulation 2 of the Principal Regulations:

2.1 In sub-clause (b) of clause 2.1 of the Principal Regulations, clause of "applicant" in respect of a generating company shall be numbered as sub-clause (b)(i) and the words "(including a captive generating plant)" therein shall be substituted with the words "(other than renewable energy generating station)".

2.2 Four new clauses of "applicant", namely, sub-clause (b)(ii), sub-clause (b)(iii), sub-clause (b)(iv) and sub-clause (b)(v) shall be added at appropriate places in clause 2.1 of the Principal Regulations as under:

"(ii) renewable energy generating station, with or without ESS, with an installed capacity of 5 MW & above individually or with an aggregate installed capacity of 5 MW & above through a Lead Generator, seeking connectivity at a single inter-connection point at voltage 33 kV & above; or

(iii) ESS with an installed capacity of 5 MW & above individually or with an aggregate installed capacity of 5 MW & above through a Lead ESS, seeking connectivity at a single inter-connection point at voltage 33 kV & above; or

(iv) renewable energy generating station or ESS with an installed capacity of 1 MW & above, seeking connectivity through the electrical system of a generating station already having connectivity to intra-State transmission system at voltage 33 kV & above. Such an entity applying for grant of connectivity to intra-State transmission system shall have an agreement with the said generating station to share its electrical system and/or inter-connection facilities at point of connectivity; or

(v) Renewable Power Park Developer with an installed capacity of 5 MW & above, seeking connectivity at a single inter-connection point at voltage 33 kV & above; or"

2.3 In sub-clause (b) of clause 2.1 of the Principal Regulations, clause of "applicant" in respect of a distribution licensee shall be numbered as sub-clause (b)(vi) and the words "distribution licensee" therein shall be substituted with the words "distribution licensee (other than data center park as distribution licensee)".

2.4 In sub-clause (b) of clause 2.1 of the Principal Regulations, clause of "applicant" in respect of a captive user or an open access consumer shall be numbered as sub-clause (b)(vii) and the same shall be substituted as under:

"(vii) a captive user or an open access consumer or a data center park as distribution licensee, seeking connectivity at its premises for its new / modified / augmented substation and / or electric plant to receive electricity at voltage 132 kV & above,with an existing/proposed load of 20 MVA and above irrespective of power flow within quantum of connectivity:"

2.5 The words "generating station less than 5 MW at voltage 33 kV or" shall be added after the words "made by any" and before the words "captive user" under Explanation in sub-clause (b) of clause 2.1 of the Principal Regulations.

2.6 A new sub-clause (d-i) shall be added after sub-clause (d) of clause 2.1 of the Principal Regulations as under:

"Committed transmission line" means a transmission line constructed exclusively for a captive user or an open access consumer or a data center park as distribution licensee seeking connectivity at its premises for its new / modified / augmented substation and / or electric plant to receive electricity at voltage 132 kV & above, with an existing/proposed load of 20 MVA and above irrespective of power flow within quantum of connectivity;"

2.7 The words "10 MW" shall be substituted with the words "20 MVA" under Explanation in sub-clause (b) of clause 2.1 of the Principal Regulations.

2.8 The words "or distribution licensee under clause 7.2A" shall be added after the word "applicant" and before the words "setting out" in sub-clause (e) of clause 2.1 of the Principal Regulations.

2.9 The words "or distribution licensee under clause 7.2A" shall be added after the words "(other than the State Transmission Utility)" and before the word "means" in sub-clause (g) of clause 2.1 of the Principal Regulations.

2.10 Two new sub-clauses, namely, sub-clause (g-i) and sub-clause (g-ii) shall be added after sub-clause (g) of clause 2.1 of the Principal Regulations as under:

"(g-i) "energy storage system" or "ESS" in relation to the electricity system, means a facility where electrical energy is converted into any form of energy which can be stored, and subsequently reconverted into electrical energy and injected back into the grid;

(g-ii) "electrical system" of a generating station shall mean electrical system / switchyard of a generating station including dedicated transmission line, if any;"

2.11 In sub-clause (h) of clause 2.1 of the Principal Regulations, the words "in respect of generating station other than those generate non-firm power" shall be deleted.

2.12 Two new sub-clauses, namely, sub-clause (i-i) and sub-clause (i-ii) shall be added after sub-clause (i) of clause 2.1 of the Principal Regulations as under:

"(i-i) "Lead ESS" means,

(i) an ESS which is mutually authorized among ESS(s) through an agreement for applying for connectivity to the intra-State transmission system at a single inter-connection point at voltage 33 kV & above: or

(ii) an ESS already having connectivity to the intra-State transmission system, and through whose electrical system, connectivity is being sought by one or more ESS(s) through an agreement;

(i-ii) "Lead Generator" means,

(i) a renewable energy generating station which is mutually authorized among renewable energy generating station(s) with or without ESS(s) through an agreement for applying for connectivity to the intra-State transmission system at a single inter-connection point at voltage 33 kV & above: or

(ii) a generating station already having connectivity to the intra-State transmission system, and through whose electrical system, connectivity is being sought by one or more renewable energy generating station(s) or ESS(s) through an agreement;"

2.13 Sub-clause (k) and sub-clause (m) of clause 2.1 of the Principal Regulations shall be deleted.

2.14 Two new sub-clauses, namely, sub-clause (n-i) and sub-clause (n-ii) shall be added after sub-clause (n) of clause 2.1 of the Principal Regulations as under:

"(n-i) "renewable energy generating station" or "REGS" means a generating station based on a renewable source of energy with or without energy storage system and shall include renewable hybrid generating station, connected at the same inter-connection point;

(n-ii) "renewable hybrid generating station" or "RHGS" means a generating station based on hybrid of two or more renewable source(s) of energy with or without energy storage system, connected at the same inter-connection point:"

3. Amendment to Regulation 6 of the Principal Regulations

3.1 A new clause, namely, clause 6.1A shall be added after clause 6.1 of the Principal Regulations as under:

"6.1A-1 An applicant, which is ESS, shall apply for connectivity for a quantum of its proposed maximum injection to intra-State transmission system or proposed maximum drawal from intra-State transmission system, whichever is higher.

6.1A-2 The application through Lead Generator or Lead ESS or Renewable Power Park Developer, as the case may be, shall be considered by the Nodal Agency only if –

(a) there is written agreement for sharing the electrical system and/or inter-connection facilities at point of connectivity by all renewable energy generating station(s) and/or ESS(s), as the case may be, among themselves and the consent of Lead Generator or Lead ESS or Renewable Power Park Developer to be responsible for compliance of the provisions of the Grid Code and other regulations of the Commission/Central Electricity Authority at the single inter-connection point and have undertaken all operational and commercial responsibilities on behalf of all individual renewable energy generating station(s) and/or ESS(s), as the case may be:

Provided that an application under sub-clause (b)(iv)of clause 2.1 shall be considered by the Nodal Agency and provisions of clause 6.1A-2(a) shall be applied *mutatis mutandis* with the condition that generating station already having connectivity to intra-State transmission system at 33 kV& above shall be Lead Generator under clause 6.1A-2.

6.1A-3 In case of application through Lead Generator or Lead ESS or Renewable Power Park Developer, as the case may be, the point of injection and the point of drawl for the purpose of scheduling, despatch, metering, energy accounting including DSM accounting and settlement shall be the single inter-connection point:

Provided that for connectivity granted under sub-clause (b)(iv) of clause 2.1, DSM accounting and settlement shall be carried out for all generating stations connected at the single inter-connection point as per DSM Regulations applicable to existing generating station already having connectivity to intra-State transmission system till provided otherwise by the Commission either though relevant Regulations or Orders."

4. Amendment to Regulation 7 of the Principal Regulations:

4.1 First proviso to clause 7.2 of the Principal Regulations shall be deleted.

4.2 In second proviso to clause 7.2 of the Principal Regulations, the words "intra-State transmission licensee" shall be substituted with the words "intra-State transmission licensee (other than STU)" and the words "to be" shall be substituted with the word "as".

4.3 In third proviso to clause 7.2 of the Principal Regulations, the word "the" shall be substituted with the word "such".

4.4 In fourth proviso to clause 7.2 of the Principal Regulations, the word "an" shall be substituted with the word "such".

4.5 A new clause, namely, clause 7.2A shall be added after clause 7.2 of the Principal Regulations as under:

"7.2A In case downstream connectivity of substation and / or electric line at voltage 33 kV of a distribution licensee is included in transmission scheme approved by Transmission Works Committee of the State Transmission Utility and duly approved by the Commission while approving the transmission capital investment scheme, such connectivity of distribution licensee at voltage 33 kV shall be deemed to be grant of connectivity subject to signing of the connection agreement by such distribution licensee as provided for in clause 8 hereof."

4.6 Clause 7.3 and clause 7.4 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"7.3 The Nodal Agency shall make a 'connection offer', along with terms, conditions and modalities for execution of connectivity, to the applicant within sixty (60) days from the date of receipt of application, with direction to the applicant to submit Connectivity Bank Guarantee. The 'connection offer' shall include among others point of connectivity, estimated cost of required inter-connection facilities, if any:

Provided that in case an application is rejected, the rejection and reasons for rejection shall be communicated to the applicant in writing by the Nodal Agency within sixty (60) days from the date of receipt of application:

Provided further that before an application is finally rejected, the applicant shall be given a reasonable opportunity of being heard.

7.4 Connectivity Bank Guarantee shall be submitted in two parts, Conn-BG1 towards estimated cost of inter-connection facilities, if any and Conn-BG2 @ Rs. 5 lakh/MW (or as provided by the Commission by an order from time to time) towards allocation of surplus capacity on existing transmission system:

Provided that Conn-BG2 and additional Conn-BG2 under clause 8A-2 shall be capped at amount equivalent to 100 MW for the applicant under sub-clause (b)(ii), sub-clause (b)(iii), sub-clause (b)(iv) and sub-clause (b)(v) of clause 2.1 for seeking connectivity of more than 100 MW:

Provided further that distribution licensee and data center park as distribution licensee shall not be required to submit Conn-BG2 and additional Conn-BG2 under clause 8A-2, and are exempted from this requirement:

Provided that Conn-BG 1 and Conn-BG 2, as applicable, shall be furnished within thirty (30) days of intimation of 'connection offer', failing which the application for connectivity shall be closed and application fee shall be forfeited:

Provided further that within fifteen (15) days of receipt of Conn-BG1 and Conn-BG2, as applicable, the Nodal Agency shall (after considering among others the schedule date of commercial operation for transmission infrastructure and inter-connection facilities) intimate in-principal grant of connectivity to the applicant, with direction to the applicant to sign the connection agreement. Such in-principal grant of connectivity shall mean grant of connectivity subject to signing of the connection agreement by the applicant as provided for in clause 8 hereof:"

4.7 In clause 7.5 of the Principal Regulations, the words "or pooling station" shall be deleted.

4.8 First proviso to 7.5 of the Principal Regulations shall be deleted.

4.9 A new proviso shall be added to clause 7.6 of the Principal Regulations as under:

"Provided that in case connectivity is granted at voltage 132 kV & above, the Nodal Agency shall approve the integration scheme of electrical system of respective entities at such interconnection point on the joint proposal of such entities."

5. Amendment to Regulation 8 of the Principal Regulations:

5.1 Principal clause of clause 8.1 (except it's both provisos) of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"The applicant or intra-State transmission licensee, as the case may be, shall sign within forty five (45) days from the date of in-principal grant of connectivity (in case of applicant) or deemed grant of connectivity (in case of intra-State transmission licensee under clause 7.2 or distribution licensee under clause 7.2A), a connection agreement with the State Transmission Utility owning the sub-station or switchyard or the transmission line as identified by the Nodal Agency, where connectivity is being granted:

Provided that if the applicant is Lead Generator or Lead ESS, all the entities on whose behalf the application is being made shall also be the signatories to the connection agreement. Lead Generator or Lead ESS shall ensure that all such entities shall also comply with the Grid Code and other regulations of the Commission/Central Electricity Authority."

5.2 Clause 8.2 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"In case of failure to sign the connection agreement within the period stipulated in clause 8.1, the Nodal Agency may extend the time for signing the connection agreement for a maximum period of thirty (30) days, failing which the in-principal grant of connectivity shall be revoked by the Nodal Agency under intimation to the applicant, and Conn-BG1 and Conn-BG2 shall be encashed."

5.3 Clause 8.3 of the Principal Regulations shall be deleted.

5.4 The word "withdrawal" shall be substituted with the word "revocation" at two places in clause 8.4 of the Principal Regulations.

6. New clause 8A: <u>Treatment of Connectivity Bank Guarantee</u>:

6.1 A new clause, namely, clause 8A shall be added after clause 8 of the Principal Regulations as under:

"8A <u>Treatment of Connectivity Bank Guarantee:</u>

8A-1 Conn-BG1 shall be returned within fifteen (15) days after deposition of estimated cost of interconnection facility:

Provided that Conn-BG1 shall be encashed and in-principal grant of connectivity shall be revoked if applicant fails to deposit such estimated cost within sixty (60) days from signing of connection agreement.

8A-2 Conn-BG2 shall be returned within thirty (30) days of date of commercial operation (COD) of generating station / of electrical plant or electric line of the applicant in following event and manner:

(a) If applicant has achieved COD of less than 50% capacity and is not able to commission the remaining capacity, the Nodal Agency shall return Conn-BG2 of proportionate capacity which has achieved COD;

(b) If applicant has achieved COD of at least 50% and up to 75% capacity and is not able to commission the remaining capacity, the Nodal Agency shall return 50% of Conn-BG2 of capacity which has not achieved COD in addition to Conn-BG2 of proportionate capacity which has achieved COD;

(c) If applicant has achieved COD of more than 75% capacity and is not able to commission the remaining capacity, the Nodal Agency shall return entire Conn-BG2:

Provided that Conn-BG2 shall be encashed and connectivity shall be revoked if applicant fails to achieve such commercial operation within a period of six (6) months in case of capacity upto 10 MW and within a period of twelve (12) months in case of capacity more than 10 MW from the scheduled date of commercial operation (unless otherwise extended by the Nodal Agency on request of the applicant subject to submission of additional Conn-BG2 @ Rs. 0.25 lakh/MW/month or part thereof):

Provided further that additional Con-BG2 may by revised by the Commission by an order from time to time, as deemed appropriate.

8A-3 The proceeds of encashed Conn-BG1 and Conn-BG2, shall be adjusted in the ARR/tariff of respective transmission licensee under the applicable regulations of the Commission.

8A-4 If applicant before encashment of Conn-BG2 under clause 8A-2 seeks full cancellation of connectivity granted to it due to implementation issues, then applicant will submit such request describing the implementation issues hindering his connectivity along with a copy of fresh application for seeking new connectivity for at least 50% of such capacity (which shall not be less than 5 MW) for which full cancellation of connectivity has been sought. In such case the Nodal Agency shall within fifteen (15) days of such request revoke the initial connectivity for which cancellation has been sought and shall return Conn-BG2 for cancelled connectivity once the applicant achieves COD of generating station / of electrical plant or electric line for full capacity under fresh application of connectivity:

Provided that in case applicant is unable to achieve COD of entire capacity under fresh application of connectivity, notwithstanding anything contained under clause 8A-2 regarding return of Conn-BG2, entire Conn-BG2 for cancelled connectivity along with Conn-BG2 under fresh application of connectivity shall be enchased by the Nodal Agency."

7. Amendment to Regulation 9 of the Principal Regulations:

7.1 A Note at the end of clause 9 of the Principal Regulations shall be deleted.

8. Amendment to Regulation 10 of the Principal Regulations:

8.1 In clause 10.1 of the Principal Regulations, the words "other than those generate non-firm power" shall be deleted.

8.2 The words "regarding issues related to Dedicated Evacuation Agreement and Annual Maintenance Contract" shall be added at the end of clause 10.4 of the Principal Regulations.

8.3 A Note at the end of clause 10 of the Principal Regulations shall be deleted.

9. New clause 10A:<u>Construction, Operation and Maintenance of Committed Transmission line</u>

9.1 A new clause, namely, clause 10A shall be added after clause 10 of the Principal Regulations as under:

"10A <u>Construction, Operation and Maintenance of Committed Transmission line:</u>

10A.1 Where the transmission line is committed to applicant under sub-clause (b)(vii) of clause 2.1, such applicant shall have the option to either choose to construct the transmission line (excluding the inter-connection facilities) up to the point of connectivity by STU on terms and conditions as specified by STU or it may construct such transmission line at its own under supervision of the State Transmission Utility on payment of supervision charges approved by the Commission:

Provided that the cost of construction of such transmission line shall be borne by the applicant on such terms and conditions as may be specified by the State Transmission Utility.

10A.2 The State Transmission Utility shall be responsible for operation and maintenance of the transmission line committed to the applicant and the ownership of such transmission line shall be deemed to have been transferred by such applicant to the State Transmission Utility. The complete operation and maintenance cost of such transmission assets shall be included in the transmission charges of the State Transmission Utility in accordance with the provisions under Section 62 of the Act read with UPERC (Multi Year Tariff for Distribution and Transmission) Regulations 2019, as amended from time to time."

10. Amendment to Regulation 11 of the Principal Regulations:

10.1 Two new provisos shall be added to clause 11 of the Principal Regulations as under:

"Provided that open access consumer or captive user connected directly to intra-State transmission system at voltage 132 kV &above, the interface meters (main meter and check meter) shall be installed by the distribution licensee at open access consumer end or captive user end, as the case may be, whereas interface meter (standby meter) shall be installed by the transmission licensee in its premises. The cost of these interface meters shall be borne by open access consumer or captive user, as the case may be:

Provided that a data center park as distribution licensee connected directly to intra-State transmission system at voltage 132 kV & above under sub-clause (b)(vii) of clause 2.1, the interface meters (main meter and check meter) shall be installed by the State Transmission Utility at transmission-distribution interface points i.e. at data center park end, whereas interface meter (standby meter) shall be installed by the State Transmission utility in its premises:

Provided further that open access consumer or captive user connected directly to intra-State transmission system at voltage 33 kV, the interface meters (main meter and check meter) shall be installed by the distribution licensee at open access consumer end or captive user end, as the case may be, whereas interface meter (standby meter) shall be installed by the transmission licensee in its premises in case of independent feeder or by the distribution licensee at open access consumer end or captive user end in case

of mixed feeder. The cost of these interface meters shall be borne by open access consumer or captive user."

11. New clause 12A: Treatment of Connectivity in case of revocation of connectivity of any individual REGS/ ESS

11.1 A new clause, namely, clause 12A shall be added after clause 12 of the Principal Regulations as under:

"12A Treatment of Connectivity in case of revocation of connectivity of any individual REGS/ ESS:

In case of revocation of connectivity of any individual REGS/ ESS by the Nodal Agency under these regulations, the connectivity of such Lead Generator/ Lead ESS/ Renewable Power Park Developer shall be reduced to the extent revocation is made subject to the fact that connectivity shall not be reduced below 5 MW and connection agreement shall be revised and signed accordingly."

12. Amendment to Regulation 16 of the Principal Regulations:

12.1 Clause 16 (along with Heading) of the Principal Regulations shall be substituted as under

"16. Transfer of Connectivity:

16.1 An applicant or a user shall not transfer its connectivity and the associated rights and obligations, either in full or in parts, to any other person except as provided hereunder:

(a) Connectivity granted to a parent company may be transferred to its subsidiary companies and connectivity granted to a subsidiary may be transferred to its parent company.

(b) Transfer of connectivity to the other person shall be allowed only upon transfer of the generating station / electrical plant and/or electric line to such other person under a transfer arrangement in accordance with law.

16.2 Such other person under clause 16.1 shall apply to the Nodal Agency for transfer of connectivity as per procedure laid down under these regulations. On issue of revised grant of connectivity by the Nodal Agency, entities shall enter into a fresh connectivity agreement(s) and be responsible for compliance with all applicable regulations:

Provided that all liabilities and obligations in accordance with these regulations till the connectivity is not transferred, shall continue to remain with the original applicant / user and subsequently the transferee shall be bound by all liabilities and obligations."

13. Amendment to Schedule (Promotional Measures/ Conditions for Plants generating Non-firm Power) of the Principal Regulations:

13.1 Schedule (Promotional Measures/ Conditions for Plants generating Non-firm Power) at the end of the Principal Regulations shall be deleted.

13.2 The words "non-conventional" shall be substituted with the word "renewable" in clause(s) 2.1(r), 3, proviso to 6.2, proviso to 8.1 and 14.1 of the Principal Regulations.

By the Order of Commission,

SHAILENDRA GAUR,
Secretary.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1135 राजपत्र–2024–(3150)–588 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 13 सा० ऊर्जा–2024–(3151)–100+500=600 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।

1135 RPH 2024 (urja folder)- data 7